प्रेस नोट ***31/01/2025***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 30-01-2025 को मु0अ0सं0 78/1988 धारा 326 भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र रामएकबाल निवासी लखनौर थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर गुमशुदा बालक को बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आवेदक श्री आजाद चौहान पुत्र श्रीरामकेर चौहान निवासी बेलौली सोनवर्षा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा दी गयी लिखित सूचना पर कि उनका भांजा सौरभ चौहान पुत्र गौरव चौहान उम्र करीब 14 वर्ष जो उनके घर पर विगत 04 वर्षों से रहकर वर्तमान में कक्षा 06 में सेंट जेवियर स्कुल सुरजपुर में पढ रहा था, सुबह बिना किसी को बताये घर से चला गया है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना दोहरीघाट प्रमेन्द्र कुमार सिंह व तीन अलग अलग टीम बनाकर बच्चे कि तलाश में जुटे जो आज दिनांक 31.01.2025 को सुबह करीब 11 बजे मुक्तिधाम घाट से बरामद किया गया। उनके मामा आजाद केशरी व उसकी माँ को सुपुर्द किया गया। बरामद लडके के परिवारिजन व आम जनता द्वारा त्वरित गति से खोजबिन कर लडके को सकुशल बरामद करने पर पुलिस टीम की भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है।